विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2025 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-6 का उत्तरालेख्य।

प्रश्न	उत्तर
6-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक- 17 अक्टूबर, 2024 जो छात्र व छात्राओं को छात्रवृत्ति दिलाये जाने के सम्बन्ध में था, जो प्रमुख सचिव मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित था, प्राप्त हुआ है?	जी हां।
(ख) यदि हाँ, तो पत्र में इंगित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकार कर लाभ प्रदान करा दिया गया है ?	जी नहीं।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	छात्रा श्रीमती आरती शुक्ला, आनलाइन रजिस्ट्रेशन संख्या-450680502303577 की उम्र शासन द्वारा प्रख्यापित नियमावली में उल्लिखित निर्धारित उम्र सीमा के अन्दर न होने के कारण छात्रवृत्ति नियमानुसार देय नहीं है। शासन द्वारा प्रख्यापित नियमावली शासनादेश सं0-76/2023/2634/26-3-2023-1574316 दिनांक 27-09-2023 के नियम संख्या-6 उपनियम (xx) में उल्लिखित है कि ''निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अधिकतम 40 वर्ष की आयु सीमा तक शेक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। आयु की गणना प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई को की जायेगी'' उक्त नियम के अनुसार निर्धारित उम्र सीमा के अन्दर न होने के कारण छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति नियमानुसार देय नही है। उक्त पत्र दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 में उल्लिखित द्वितीय रजिस्ट्रेशन संख्या– 45068012303599 की जांच करने पर उक्त रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लीज इण्टर ए वैलिड रजिस्ट्रेशन नम्बर प्रदर्शित हो रहा है। छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन संख्या-15 अंक का होता है। पत्र दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 में उल्लिखित प्रथम रजिस्ट्रेशन संख्या-450680502303577 में 15 अंक है, किन्तु द्वितीय रजिस्ट्रेशन नम्बर 45068012303599 में 14 अंक है, जिसे छात्रवृत्ति योजना के आनलाइन पोर्टल में चेक करने पर प्लीज इण्टर ए वैलिड रजिस्ट्रेशन नम्बर प्रदर्शित हो रहा है।
(घ) क्या उक्त छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान कर सदन को अवगत करायेंगे ?	उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by ASIM KUMAR ARUN
Date: 09-08-2025 17:10:41

(असीम अरुण)
राज्यमंत्री (स्व0प्र0)।